

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(27)एम.ई./ग्रुप-1/2015


जयपुर, दिनांक: 12 3 MAY 2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.04.2019 के द्वारा न्यूरोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार न्यूरोलोजी में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है :-


वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० चन्द्र मोहन शर्मा	सामान्य	06.05.1959	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० राजेन्द्र सिंह जैन	सामान्य	13.09.1959	2013-14	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2013
3.	डॉ० अनिता भार्गव	सामान्य	06.12.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० अंजनी कुमार शर्मा	सामान्य	06.09.1962	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
5.	डॉ० विजय सरदाना	सामान्य	09.06.1964	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
6.	डॉ० अरविन्द व्यास	सामान्य	06.02.1963	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
7.	डॉ० भावना शर्मा	सामान्य	30.10.1969	2016-17	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2016
8.	डॉ० बी० एल० कुमावत	अपिजा	04.09.1965	2015-16	आचार्य 01.04.2015
9.	डॉ० त्रिलोचन श्रीवास्तव	सामान्य	27.09.1966	2015-16	आचार्य 01.04.2015
10.	डॉ० शुभकरण	सामान्य	27.09.1966	2016-17	आचार्य 01.04.2016
11.	डॉ० दिनेश चन्द्र खण्डेलवाल	सामान्य	10.01.1970	2017-18	आचार्य 01.04.2017

सहायक आचार्य				
क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० दिलीप माहेश्वरी	सामान्य	15.11.1972	06.08.2012
2.	डॉ० दीपक जैन	सामान्य	15.06.1976	03.08.2012
3.	डॉ० तरुण कुमार रलोत	सामान्य	18.06.1977	04.08.2012
4.	डॉ० रविन्द्र सिंह	अपिव	16.06.1972	18.08.2012
5.	डॉ० प्रशान्त कुमार सिंह	सामान्य	20.10.1980	19.06.2017 (नियुक्ति तिथि)
6.	डॉ० राहुल गुप्ता	सामान्य	03.11.1985	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)
7.	डॉ० जगदीश चन्द्र कूकणा	अपिव	05.01.1976	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)
8.	डॉ० इन्द्र पुरी	अपिव	16.05.1983	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


(जी.आर.रावल)
शासन सहायक सचिव